मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/01/2022

क्रमांक 58/08/सी.सी./2022/अड़तीस :: मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश आदेश क्रमांक 893/सी.सी./2021/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 16.11.2021 के द्वारा सत्र 2021–22 में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसम्बर–जनवरी 2021–22 में परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ परीक्षा आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी को परीक्षा दिवस के दिन ही आवेदन पत्र के साथ पॉजिटिव रिर्पोट संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा अथवा दूरभाष पर सूचित करना होगा जिससे विद्यार्थी को प्रश्न पत्रों में बैठने की छूट मिल सकें। प्राचार्य परीक्षा समाप्ति के पाँच दिवस में ऐसे विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में भी इसका उल्लेख करेंगे।

सत्र 2021–22 में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित परीक्षाओं में जो विद्यार्थी कोविड–19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो विद्यार्थी कोविड–19 के संक्रमण की वजह से अपने शहर (निवास स्थान) से परीक्षा केन्द्र जाने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा, परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में समय–सारणी जारी कर दो सप्ताह में परीक्षा आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पॉजिटिव पाये गये विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित किया जाए, जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) का पालन, फेस कवर/मास्क का उपयोग, श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन एवं खॉसते/छीकते समय टिश्यू/रूमाल/कोहनी से नाक और मुंह को कवर कराना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण (डिस्पोजल) तथा समय–समय पर कोरोना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

25.01.22
(संघमित्रा गौतम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांकः 59/08/सी.सी./2022/अड़तीस
भोपाल, दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशा./निजी अशा. महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./परीक्षा/2022/1150
जबलपुर, दिनांक 27.01.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर